कार्यालय नगर पालिका पुष्कर, जिला अजमेर

सदर बाजार, बद्री घाट के पास पुष्कर

E-Mail :- np.pushkar.nagarpalika@gmail.com PH :- 0145-2773025

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक : न.पा.पु./सामान्य/19/ 2763 दिनांक : 19.10.2020

श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक महोदय,
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
जयपुर

विषय :- श्री अजनेश्वर राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विधालय पुष्कर को भूमि आवंटन करने बाबत।

प्रसंग :- श्रीमान् का पत्रांक भूमि/एफ.7(ड)(288)/डीएलबी/2016/4070 दिनांक 25.09.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि श्री अजनेश्वर राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विधालय पुष्कर को भूमि आवंटन करने बाबत श्रीमान् के पूर्व पत्रांक 6607 दिनांक 22.08.2016 द्वारा बिन्दुवार सूचना चाही गई थी प्रकरण में चाही गई सूचना निम्नानुसार है :-

1. भूमि आवंटन नीती 2015 के तहत पुष्कर नगर पालिका क्षेत्र में स्थित खसरा नं. 1424 मे से 323.05 वर्गगज भूमि उक्त विधालय को विधालय विस्तार हेतु आवंटन करने हेतु चिन्हित किया गया है।
2. नगर पालिका पुष्कर द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग को श्री अजनेश्वर राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विधालय पुष्कर के लिये नियमानुसार आवंटन करने बाबत नगर पालिका की प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 19.06.2001 के प्रस्ताव संख्या 7 एंव दिनांक 31.05.2013 के प्रस्ताव संख्या 2 मे उक्त विधालय को पालिका स्वामित्व के खसरा नं. 1424 मे से 323.05 वर्गगज भूमि नियमानुसार आंवटन करने का निर्णय लिया गया है। प्रस्ताव की प्रति संलग्न है।
3. भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र 6 विभागाध्यक्ष के माध्यम से स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर को भिजवाया जा चुका है जिसकी प्रति संलग्न है।
4. कार्यालय नगर पालिका द्वारा आम सूचना दिनांक 02.11.2001 को स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्क में प्रकाशित की जा चुकी है जिसकी प्रति संलग्न है।
5. बिन्दु संख्या 2 अनुसार पालिका का प्रस्ताव भूमि आवंटन हेतु लिया जाकर संलग्न है।
6. प्रस्तावित भूमि को मास्टर प्लान, खसरा प्लान पर सुपर इंपोज करते हुए गुगल ईमेज के नक्शें पर अंकित करते हुए संलग्न है।
7. उक्त भूमि मास्टर प्लान में अंकित भू-उपयोग में राजकीय विधालय हेतु अनुज्ञय है
8. बिन्दु संख्या 8 आपत्ति/आम सूचना से संबंधित जो बिन्दु संख्या 4 में वर्णित की जाकर संलग्न है।
9. बिन्दु संख्या 9 राज्य सरकार से संबंधित है।

अतः नवीन भू-आवंटन नीती 2015 के अनुसार संस्कृत शिक्षा विभाग को श्री अजनेश्वर राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विधालय पुष्कर के लिये नियमानुसार भूमि आवंटन हेतु वास्ते प्रशासनिक स्वीकृती हेतु श्रीमान् की सेवा में प्रेषित है।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका पुष्कर

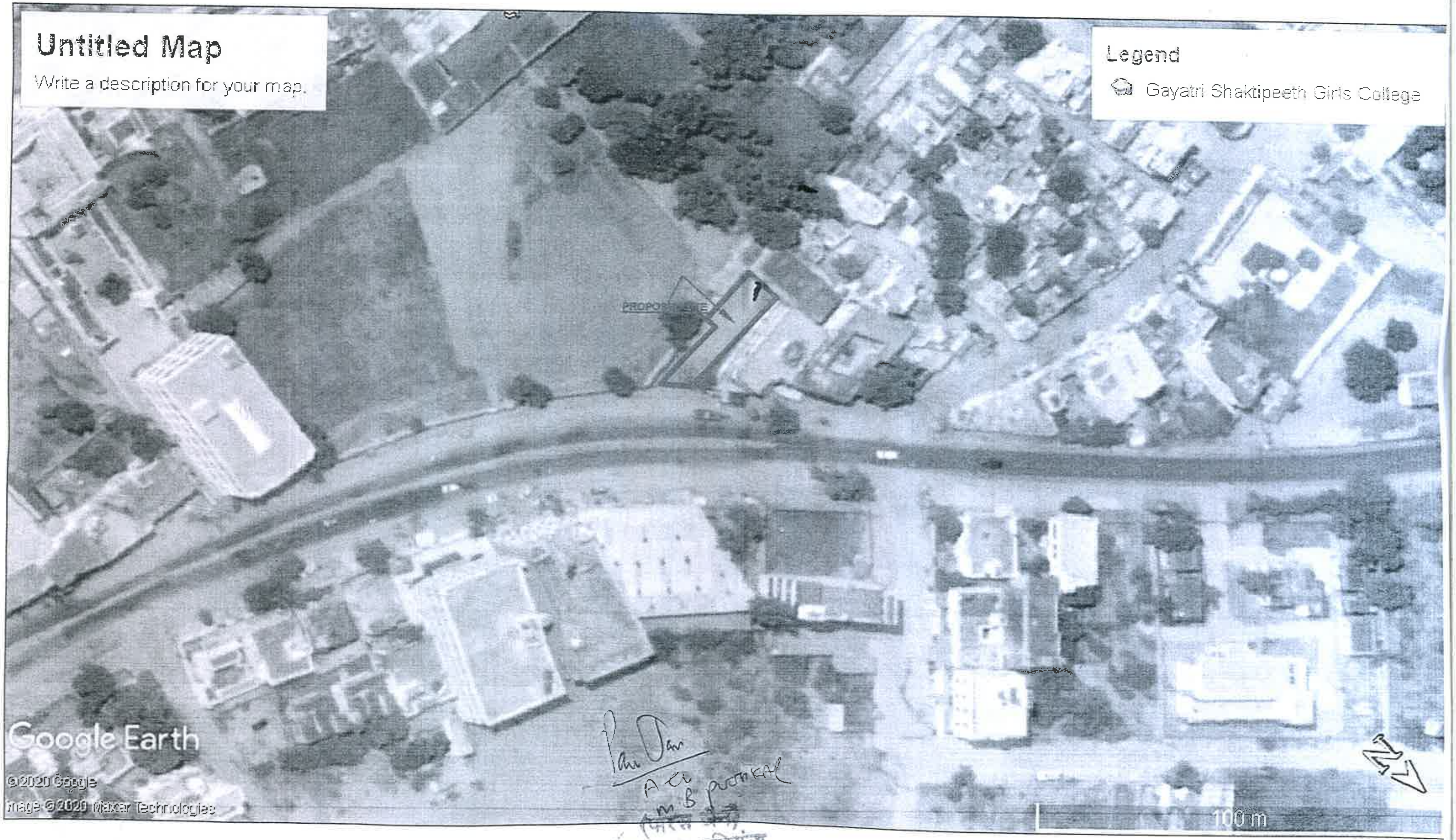
Untitled Map
Write a description for your map.
Legend
Gayatri Shaktipeeth Girls College
Google Earth
©2020 Google
Image ©2020 Maxar Technologies
100 m

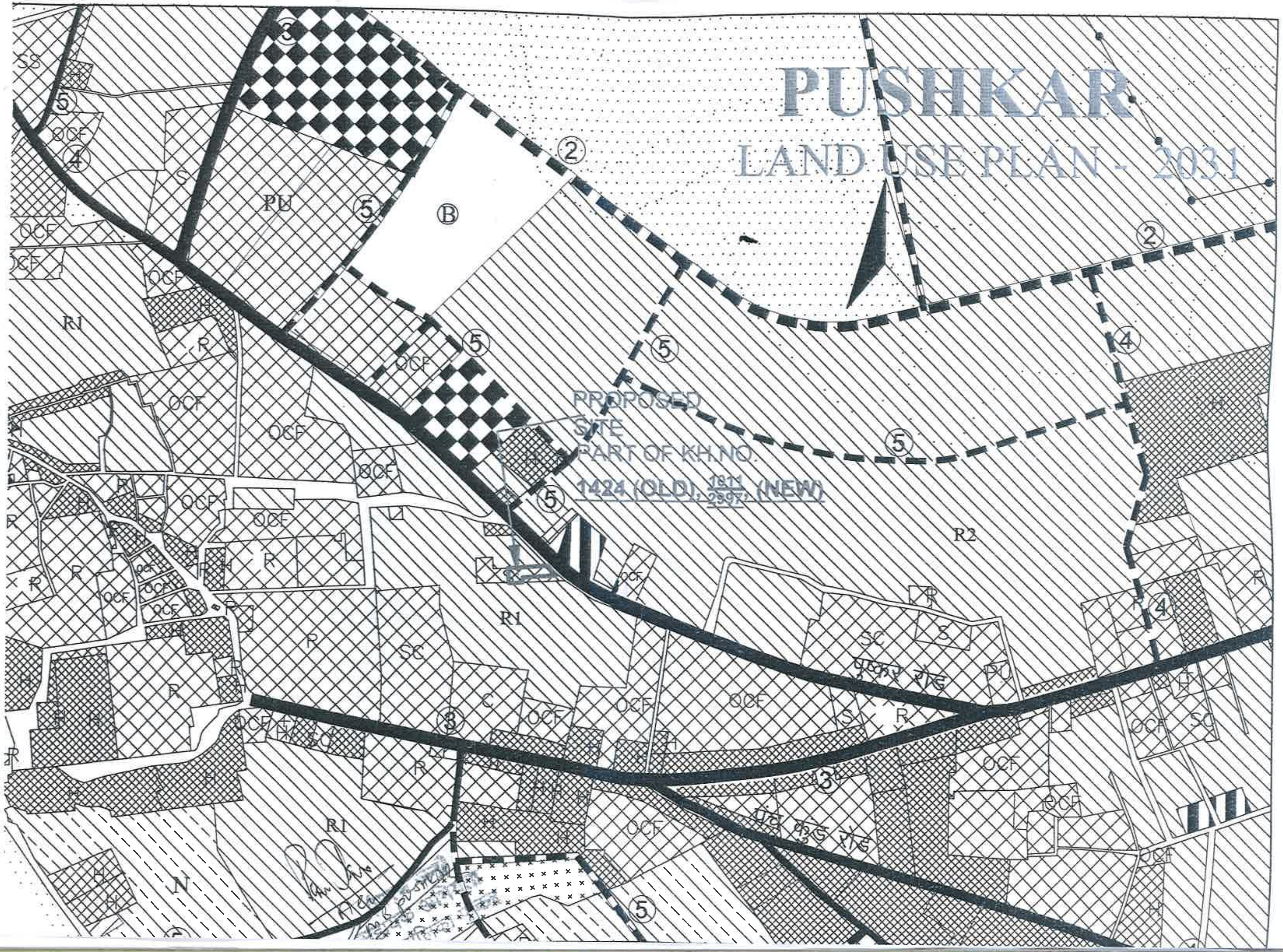
PUSHKAR
LAND USE PLAN - 2031
PROPOSED
SITE
PART OF KH.NO.
1424 (OLD), 1011/2997 (NEW)
R2
R1
PU
B
OCF
SC
PU
R
S
C
H
N
SS

SITE-PLAN
SCALE:-1"=40'

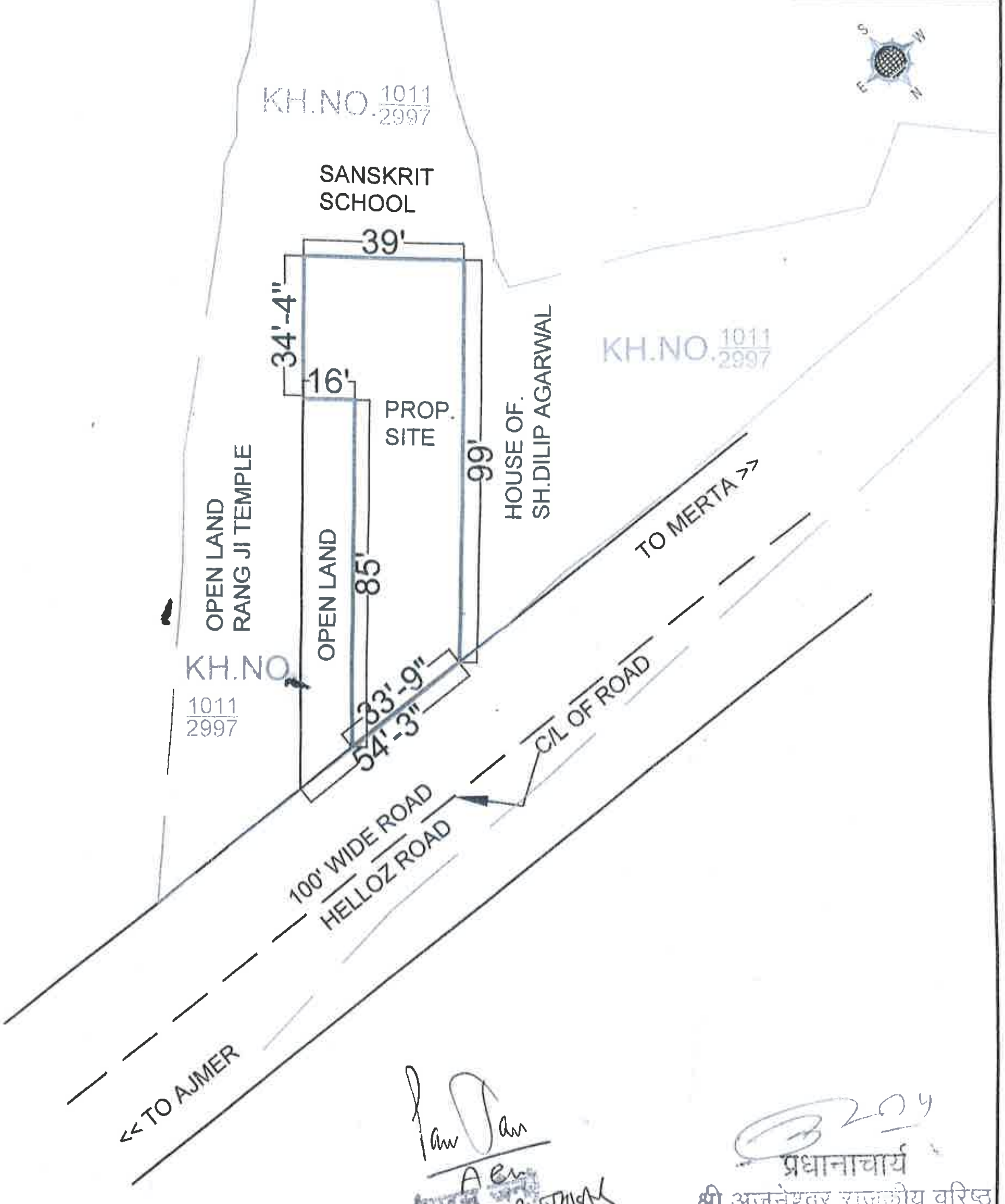

NOTE:-
PROPOSED SITE SHOWN IN RED
TOTAL AREA OF LAND= 323.00 SQ.YDS.

(सहायक अभियंता नगर पालिका पुष्कर)

प्रधानाचार्य
श्री अजनेश्वर राजकीय वरिष्ठ
उपाध्याय संस्कृत विद्यालय
पुष्कर (अजमेर)

APPLICANT

SITE-PLAN SHOWING LAND PART OF KH.NO. 1424 (OLD), $\frac{1011}{2997}$, (NEW) AT HELLOZ ROAD, PUSHKAR, DIST.AJMER. BELONGS TO SHRI AJNESHWAR RAJKIYA VASHISHT UPADHYAY SANSKRIT VIDHYALAY PUSHKAR.

कार्यालय नगर पालिका पुष्कर

क्रमांकः न.पा.पु./बैठक/13/ 1510

:: बैठक सूचना :: दिनांक 7/6/13

नगर पालिका मण्डल, पुष्कर द्वारा गठित प्रशासनिक समिति (Executive Committee) की बैठक श्रीमती मंजू कुर्डिया, अध्यक्ष, नगर पालिका, पुष्कर की अध्यक्षता में दिनांक 31.05.2013 समय दोपहर 12.15 बजे नगर पालिका भवन में आहूत की गई जिसमें निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. श्रीमती मंजू कुर्डिया (अध्यक्ष)	अध्यक्ष
2. अधिशाषी अधिकारी	पदेन सचिव
3. श्री शिव स्वरूप महर्षि (नेता प्रतिपक्ष)	सदस्य
4. श्री टीकम शर्मा	सदस्य
5. श्रीमती कुमोदिनी पाराशर	सदस्या
6. श्रीमती चम्पा देवी दग्दी	सदस्या
7. श्रीमती मंजू राठी	सदस्या
8. श्रीमती मंजू बाकोलिया	सदस्या
9. श्रीमती सुनीता पाराशर	सदस्या
10. श्री सुभाष चंद राठोड़िया	सदस्य
11. श्री हरीश चंद धोलपुरिया	सदस्य
12. श्रीमती कमला देवी खीची	सदस्या

विचारणीय बिन्दु :-

(1). **विभिन्न समाजों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि आवंटन एवं अनापत्ति दिये जाने पर विचार :-**

1. अखिल भारतीय माली (सैनी) सदन संस्थान पुष्कर

पत्रावली समिति के समक्ष प्रस्तुत हुई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिशाषी अधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय अजमेर द्वारा पत्रांकः कअ/राजस्व/13/3889-91 दिनांक 06.02.13 प्रेषित कर अखिल भारतीय माली (सैनी) सेवा सदन संस्थान पुष्कर जिला अजमेर को छात्रावास, यात्रीयों के ठहरने हेतु धर्मशाला व वृद्धाश्रम भवन निर्माण के लिये ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर के खसरा नं. 2083/2605 में से 15 बीघा भूमि आवंटन हेतु नगर पालिका पुष्कर से अनापत्ति चाही गयी है। अतः उचित निर्णयार्थ एवं विचारार्थ सदन के समक्ष प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार विर्मश किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि राजस्व ग्राम गनाहेडा में स्थित है व मौके पर रिक्त होना दर्शाया है मास्टर प्लान में भूमि का उपयोग पर्यटन सुविधा हेतु आरक्षित होना वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा दर्शाया है प्रस्तावित भूमि नगर पालिका सीमा में नहीं आती है व नगर पालिका की योजना प्रस्तावित नहीं है भूमि का आवंटन श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा किया जाना है अतः मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने की शर्त पर सैनी समाज को आवंटन की जाती है तो पालिका को कोई आपत्ति नहीं है अतः अनापत्ति श्रीमान् जिला कलक्टर अजमेर को प्रेषित किये जाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

2. राजकीय श्री अजनेश्वर संस्कृत विद्यालय पुष्कर

अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि राजकीय अजनेश्वर संस्कृत विद्यालय द्वारा 323.25 वर्गगज भूमि विद्यालय विस्तार हेतु निःशुल्क चाही गयी है, मौके पर भूमि रिक्त है एवं राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक..2002...... दिनांक..15.07.05 के अनुसार राजकीय विद्यालयों को निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विर्मश किया गया। बाद विचार विमर्श प्रकरण में रास्ते की भूमि को छोडकर शेष भूमि उपलब्धता अनुसार राजकीय श्री अजनेश्वर संस्कृत विद्यालय पुष्कर को निःशुल्क आवंटन करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

3. श्री महाराजा सूरजमल शिक्षण संस्थान पुष्कर

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। पत्रावली में भूमि के स्वामित्व पहुँच मार्ग, मौका रिपोर्ट, इत्यादि राजस्व विभाग तहसील से प्राप्त नहीं हुई है। ना ही प्रस्तावित भूमि का साईट प्लान, ले-आउट प्लान, वर्तमान रिपोर्ट आय-व्यय का विवरण इत्यादि प्रार्थी द्वारा कोई प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः सम्पूर्ण दस्तावेजों की पूर्ति व मास्टर प्लान में भूमि का उपयोग बाबत वरिष्ठ नगर नियोजक से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात आगामी बैठक

मंजू कुर्डिया

Gupta jt/20 New 21-12-2011/304

में रखे जाने व प्रार्थी से 15 दिवस में सम्पूर्ण दस्तावेजों की पूर्ति करवाने हेतु सूचित किया जाने ... द्वारा न तो पत्रावलियां सक्षम अधिकारी को उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है व न ही ... से कोई कार्यवाही कर दस्तावेजों की पूर्ति करवायी जा रही है इससे पालिका की छवि भी धूमिल हो ...

अतः संबंधित लिपिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ... आगामी बैठक में रखने के निर्णय का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

4. <u>अध्यक्ष आदिवासी भील</u>

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। पत्रावली में आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करवाये बिना संबंधित लिपिक के पास काफी समय से लंबित पडी है जिस पर न तो दस्तावेजो की पूर्ति करवायी गयी है ना ही पत्रावली पर कोई कार्यवाही होना पाया गया है अतः भूमि निष्पादन नियमन 1974 के द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजों की पूर्ति करवाकर आगामी बैठक में रखने व आवेदक को दस्तावेजों की पूर्ति करने हेतु सूचित करने बाबत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

5. <u>कंजर समाज</u>

सदन द्वारा विचार विमर्श किया गया। माननीय जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष दिनांक 10.02.2012 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पालिका स्वामित्व की भूमि खसरा सं. 195 में से 5 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की है प्रस्तावित भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री की फ्लेगशीप योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग योजना स्कीम स्वीकृत होकर अफोर्डेबल योजना में आवास निर्माण हेतु राजस्थान आवास निगम लिमिटेड को प्रस्ताव भेजे जा चुके है अतः पालिका की अफोर्डेबल योजना की भूमि आवंटित किया जाना संभव नहीं है साथ ही भूमि निष्पादन नियमों में समाज विशेष को निःशुल्क भूमि आवंटन का कोई प्रावधान भी नहीं है। अतः सर्व सम्मति से आवेदन पत्र निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

6. <u>तीर्थ गुरू पुष्कर मे सिंधी समाज पुष्कर</u>

सदन द्वारा विचार विमर्श किया गया। पत्रावली में केवल एक आवेदन पत्र लगा हुआ है इनके साथ भूमि संबंधित दस्तावेज मय साईट प्लान, जमाबंदी, ट्रेस नक्शा, संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, आय व्यय का विवरण कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है व आवेदन पत्र के साथ यह भी उल्लेख नहीं किया है कि भूमि कहां वांछनीय है। अतः सम्पूर्ण दस्तावेजों की पूर्ति करने के लिये संस्था को सूचित कर बाद पूर्ति आगामी बैठक में रखने बाबत सर्व सम्मति से निर्णय का प्रस्ताव पारित किया गया।

7. <u>तीर्थ गुरू पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट</u>

सदन द्वारा विचार विमर्श किया गया। पत्रावली में केवल एक आवेदन पत्र लगा हुआ है इनके साथ भूमि संबंधित दस्तावेज मय साईट प्लान, जमाबंदी, ट्रेस नक्शा, संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, आय व्यय का विवरण कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है व आवेदन पत्र के साथ यह भी उल्लेख नहीं किया है कि भूमि कहां चाही गई है अतः सम्पूर्ण दस्तावेजों की पूर्ति करवाने के लिये संस्था को स्मरण पत्र जारी कर दस्तावेजों की पूर्ति करने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने के निर्णय का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

8. <u>अखिल राजस्थान बागरिया समाज</u>

सदन द्वारा विचार विमर्श किया गया। माननीय जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष दिनांक 10.02.2012 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पालिका स्वामित्व की भूमि खसरा सं. 195 मे से 5 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की है प्रस्तावित भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री की फ्लेगशीप योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग योजना स्कीम स्वीकृत होकर अफोर्डेबल योजना के अर्न्तगत आवास निर्माण हेतु राजस्थान आवास निगम लिमिटेड को प्रस्ताव भेजे जा चुके है अतः पालिका की अफोर्डेबल योजना हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया जाना संभव नहीं है साथ ही भूमि निष्पादन नियमो में समाज विशेष को निःशुल्क भूमि आवंटन का कोई प्रावधान भी नहीं है। अतः सर्व सम्मति से प्रार्थना पत्र निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया, नेता प्रतिपक्ष एवं सदस्य श्री शिवस्वरूप महर्षि सदन से बाहर गये।

9. <u>फियोर दी लोर्टो</u>

अधिशाषी अधिकारी द्वारा पत्रावली सदन के समक्ष रखी गयी व अवगत कराया कि दी फियोर दी लोर्टो के अध्यक्ष श्री ज्योति स्वरूप महर्षि द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ विद्यालय भवन एवं वृद्धावस्था निर्माण हेतु पारीक कॉलोनी के बाहर खसरा संख्या 197 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन चाहा गया है, संस्था देवस्थान विभाग में पंजीकृत संस्था है एवं छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, ड्रेस, भोजन व सम्पूर्ण पाठय सामग्री उपलब्ध करवायी जाती है एवं वर्तमान में करीबन 350 छात्रायें

मंजू कुर्डिया

अध्ययनरत है जिन्हें लाने-लेजाने हेतु निःशुल्क वाहन व्यवस्था होने व वृद्धजनों को पेंशन भी दी जाना अवगत कराया है, समिति द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार विमर्श नगर पालिका स्वामित्व की भूमि खसरा सं. 197 में से 3 बीघा भूमि राज. नगर पालिका भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 19 के अन्तर्गत आरक्षित दर पर राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर आवंटन किये जाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

10. <u>गायत्री शक्ति पीठ</u>

सदन द्वारा विचार विमर्श किया गया। पत्रावली सदन के समक्ष संबंधित लिपिक द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाने से बिना पत्रावली के प्रकरण पर निर्णय लिया जाना संभव नहीं होने एवं उक्त पत्रावली तलाश करने व आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु संबंधित लिपिक को हिदायत दी जाकर आगामी बैठक में रखने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

मंजू कुर्डिया
मंजू कुर्डिया
अध्यक्ष
नगर पालिका पुष्कर

(नारायणलाल मीणा)
आयुक्त
पदेन अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका पुष्कर
दिनांक 7/6/13

क्रमांकः न.पा.पु./बैठक/13/ 1511-1523

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं बैठक में उपस्थित होने हेतु प्रेषित हैः-

1. श्रीमती मंजू कुर्डिया (अध्यक्ष) अध्यक्ष
2. अधिशाषी अधिकारी, पदेन सचिव
3. श्री शिव स्वरूप महर्षि (नेता प्रतिपक्ष), सदस्य
4. श्री टीकम शर्मा, सदस्य
5. श्रीमती मंजू बाकोलियां, सदस्या
6. श्रीमती कुमोदिनी पाराशर, सदस्या
7. श्रीमती चम्पा देवी दग्दी, सदस्या
8. श्रीमती मंजू राठी, सदस्या
9. श्रीमती सुनीता पाराशर, सदस्या
10. श्री सुभाष चंद राठोड़िया, सदस्य
11. श्री हरीश चंद धोलपुरिया, सदस्य
12. श्रीमती कमला देवी खीची, सदस्या
13. श्री पारस कुमार जैन, क.अ. नगर पालिका पुष्कर
14. गार्ड पत्रावली

(नारायणलाल मीणा)
आयुक्त
पदेन अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका पुष्कर

कार्यालय नगर पालिका पुष्कर – अजमेर (राज०)

125

क्रमांक: न०पा०पु०/2001–2002/1023–1033 दिनांक :– 22/6/2001

कार्यवाही विवरण प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 19/6/2001

नगरपालिका पुष्कर की प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 19/6/2001 को प्रातः 11.30 बजे पालिका कार्यालय के सभा भवन में आहूत की गई जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये :–

(1)	श्रीमति अन्नी देवी उदय	अध्यक्ष
(2)	श्रीमति सुशीला देवी	सदस्य
(3)	श्रीमति सरोज जादम	सदस्य
(4)	श्री राधेश्याम जोशी	सदस्य
(5)	श्री दामोदर शर्मा	सदस्य
(6)	श्री चान्दमल उदय	सदस्य
(7)	श्री दिनेश कुमार शर्मा	सदस्य

कोरम की पूर्ति होने पर समिति की बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :–

(1) गत बैठक की पुष्टि पर विचार :–

अधिशाषी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया व समिति को अवगत कराया कि सभी सदस्यों को गत बैठक का कार्यवाही विवरण सभी सदस्यों को प्रेषित हो चुका है; सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया, बाद विचार सर्व सम्मति से गत बैठक की पुष्टि का प्रस्ताव पारित किया गया ।

(2) सावित्री माता मंदिर पर रोपवें स्थापित करने हेतु अनापत्ति के संबंध में विचार:–

अधिशाषी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया, व समिति को अवगत कराया कि श्रीमान् जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 4686–87 दिनांक 3.5.2001 भेजकर सावित्री माता मंदिर पुष्कर में रोपवें स्थापित करने हेतु आपत्ति – अनापत्ति के संबंध में शीघ्र अवगत करायें जाने का उल्लेख किया है समिति द्वारा इस संबंध में विचार विमर्श किया गया, अधिशाषी अधिकारी द्वारा समिति के समक्ष मांग रखी कि रोपवे स्थापित होने से आने वाली आय में से पुष्कर विकास में भी नगरपालिका, पुष्कर को भी कुछ हिस्सा मिलना चाहियें, सदस्य श्री दामोदर शर्मा एवं श्री दिनेश कुमार शर्मा ने प्रस्तावित किया कि पुष्कर विकास के लियें रोपवे में से होने वाली आय में से

126

रखते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से नामान्तरण प्रकरण को खारिज किये जाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है । आवेदक को इस आशय की सूचना प्रेषित की जावें ।

प्रस्ताव संख्या 7 :- श्री अजमेश्वर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राज्य सरकार
============ के पत्र क्रमांक5706 दिनांक 21/5/2001 के अनुसार भू उपयोग परिवर्तन कराना एवं भूमि आवंटन पर विचार :-

अधिशाषी अधिकारी द्वारा पत्रावली समिति के समक्ष रखी गई व समिति को अवगत कराया कि साधारण सभा की बैठक दिनांक 13/4/2001 प्रस्ताव संख्या 11 के द्वारा अजमेश्वर संस्कृत विद्यालय को सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर निःशुल्क भूमि आवंटन किये जाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित कर वास्ते स्वीकृति राज्य सरकार को प्रेषित किया गया । राज्य सरकार के पत्र क्रमांक भूमि स०/1/5. स्थानीय/2001/5702 दिनांक 21/5/2001 एवं पत्र क्रमांक 20469 दिनांक 11/6/2001 के द्वारा प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन संबंधित विभाग से करवाया जावें व नगर पालिका द्वारा उक्त भूमि का आवंटन इस शर्त पर करें कि स्कूल के रूप में उपयोग में लेने से पूर्व प्रस्तावित भूमि का भू उपयोग परिवर्तन संबंधित विभाग से करवाया जावें अन्यथा आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा । राज्य सरकार के आदेशानुसार समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया व मौके पर उपलब्ध वर्ग गज भूमि माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार 16' रास्ता छोडते हुयें राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय पुष्कर को भू उपयोग परिवर्तन करवाने जाने की शर्त पर निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है । विद्यालय प्रशासन को सूचना प्रेषित की जावें कि उक्त भूमि का उपयोग स्कूल के रूप में उपयोग में लेने से पूर्व प्रस्तावित भूमि का नियमानुसार भू उपयोग परिवर्तन करवा लेवे अन्यथा आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा, प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 8. :- रावत महासभा अजमेर के पत्र दिनांक 28.5.2001 के अनुसार पानी
============ की टंकी व ट्यूब वैल निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने पर विचार

अधिशाषी अधिकारी द्वारा पत्रावली समिति के समक्ष रखी गई व समिति को अवगत कराया कि रावत सभा द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.5.2001 में [illegible] किया है कि उल्लेखित प्रस्तावित भूमि पर पानी की टंकी एवं ट्यूब वैल निर्माण हेतु भूमि [illegible] कराना चाहते हैं, इस प्रकार [illegible] अधिशाषी [illegible] के पत्र क्रमांक 575 दिनांक 13/6/2001 एवं क्रमांक 580 दिनांक [illegible] के [illegible]

(127)

भूमि पर । §2§ देवनगर रोड, पुष्कर §3§ सतोषी माता का [illegible] में पुष्कर §4§ पुष्कर धाम के अन्दर ।

बाद विचार विमर्श जनहित में गनहेडा रोड नाके के सामने प्रशासनिक [illegible] के पीछे की भूमि पर फायर स्टेशन बनाया जाना अधिक उपयुक्त माना गया ताकि समुचित रूप से फायर स्टेशन का उपयोग हो सकें व मेले के दौरान भी फायर स्टेशन का लाभ उठाया जा सकें ।

अतः प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाकर प्रस्ताव श्रीमान् जिला कलेक्टर अजमेर को प्रेषित किया जावें । ताकि फायर स्टेशन निर्माण की कार्यवाही हो सकें । प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है ।

प्रस्ताव संख्या 10 :- नायक समाज का सरकारी [illegible] भूमि श्मशान हेतु आवंटन करने पर विचार :-
============

अधिशाषी अधिकारी द्वारा पत्रावली समिति के समक्ष रखी गई समिति को अवगत कराया कि पुष्कर की खसरा नं. 1456 को नायक समाज के श्मशान हेतु आवंटन अध्यक्ष नव युवक मण्डल नायक कालोनी छोटी बस्ती पुष्कर के प्रार्थना पत्र दिनांक 23/5/2000 के संबंध में श्रीमान् अतिरिक्त कलेक्टर अजमेर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 2977-78 दिनांक 6.6.2001 बाबत वर्णित बिन्दुओं पर प्रेषित कर टिप्पणी चाही गई है । समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया, सदस्य श्री चांदमल [illegible] ने प्रस्तावित किया कि किसी भी जाति विशेष को श्मशान स्थल हेतु सरकारी भूमि आवंटन नहीं की जानी चाहियें बल्कि सार्वजनिक श्मशान स्थल पर ही [illegible] किया जा सकता है, सदस्य श्री दिनेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तावित किया कि जाति विशेष को इस प्रकार श्मशान स्थलों हेतु भूमि आवंटन नहीं की जावें व [illegible] जाति विशेष व समाज विशेष द्वारा माग करेंगे तो सम्पूर्ण पुष्कर [illegible] जायेगा ।

अतः समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया [illegible] विशेष एवं जाति विशेष के लिये श्मशान स्थल हेतु भूमि आवंटन [illegible] को खारिज करते हुए सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया [illegible] अध्यक्ष, नव युवक नायक समाज पुष्कर एवं श्रीमान् अतिरिक्त कलेक्टर [illegible] को प्रेषित की जावें ।

अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका पुष्कर ।